न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील: 19/2019
दायर दिनांक: 04.07.2019
निर्णय दिनांक 10.10.2019

—:अनवान:—

1. श्रीमती कमलेश पत्नी स्वर्गीय रामअवतार तिवारी निवासी टांटोल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द हॉल निवासी 2 त 30 शांतिनगर हिरणमगरी सेक्टर 5 उदयपुर जिला उदयपुर
2. आशिष कुमार पिता स्वर्गीय रामअवतार तिवारी निवासी टांटोल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द हॉल निवासी 2 त 30 शांतिनगर हिरणमगरी सेक्टर 5 उदयपुर जिला उदयपुर
3. संध्या पुत्री स्वर्गीय रामअवतार तिवारी निवासी टांटोल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द हॉल निवासी एफ 5 गांधीनगर अजमेर जिला अजमेर

—— अपीलांट

:: बनाम ::

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खमनोर, जिला राजसमंद

—— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 308 दिनांक 15.02.1991 पारित द्वारा तहसीलदार नाथद्वारा से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भु राजस्व अधिनियम

उपस्थित:—
1 श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता, अपीलान्ट
2. श्री कैलाश बोल्या, पेरोकार सरकार

निर्णय

अपीलान्ट ने तहसीलदार नाथद्वारा के आदेश दिनांक 15.02.1991 नामान्तरण संख्या 308 से व्यथित होकर यह अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। इसके साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम टांटोल की आराजी नं0 2560 रकबा 01.03 बीघा भूमि स्थित है उक्त भूमि अपीलांट के पति/पिता स्वर्गीय रामअवतार जी पिता लक्ष्मीनारायण जी तिवारी निवासी टांटोल तहसील नाथद्वारा को सेवानिवृत भारतीय सेना का सैनिक होने से उद्योग विस्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा आवंटित कर पट्टे विलेख राजस्थान सरकार जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर द्वारा जारी कर पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक नाथद्वारा के यहां पर करवाया गया उक्त पट्टेशुदा भूमि पर रामअवतार द्वारा विष्णु मिनरल्स इण्डस्ट्रीज प्रो0 रामअवतार के नाम से लाईम स्टोन चिप्स बनाने हेतु प्लांट स्थापित किया था तथा इस हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से मशीनरी आदि स्थापित करने हेतु ऋण प्राप्त किया था । उक्त आवंटित भूमि एवं आवंटन आदेश की पालना में राज्य सरकार द्वारा जारी लीज की उक्त भूमि का नामान्तरण तहसीलदार, नाथद्वारा के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा भरकर प्रस्तुत किया है जिसे तहसीलदार स्वीकृत करने के उपरान्त पश्चातवर्ती रूप से काट कर निरस्ती का अंकन किया है। जो विधि विरूद्व है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की तरफ से पैरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार द्वारा दिनांक 12.09.2019 को मौका एवं रेकार्ड की रिपोर्ट तहसीलदार, खमनोर से प्राप्त कर प्रस्तुत की गयी।

अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता बहस सूनी गयी। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपील मेमो में लिये गये आधारों को बहस में दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व संबधित पक्षकार को सूने बगेर ही मनमकसूद तरीके से यह आदेश पारित किया है जो न केवल विधि के विपरित है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में विधि के मूलभूत सिद्वान्तो की पालना नहीं की गई है। स्वीकृत रूप से राज्य सरकार द्वारा वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पूर्वाधिकारी को आवंटित की गयी है तथा उसके पक्ष में लीजडीड जारी की गयी है। फिर भी उक्त भूमि का नामान्तरण भरने के उपरान्त उसे निरस्त करने का आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है। उक्त भूमि अपीलांट के पूर्वाधिकारी को आवंटित हुई एवं लीज भी जारी हुयी है यह रेकार्ड प्रमाणित है। राजस्व रेकार्ड में उक्त आवंटन आदेश की पालना में भूमि राजस्व रेकार्ड में उद्योग हेतु आरक्षित करने का नामान्तरण का अंकन किया गया है। तथा अपीलांट के पूर्वाधिकारी के नाम पर विष्णु मिनरल्स इण्डस्ट्रीज के नाम पर पटवारी हल्का ने नामान्तरण भरा है जिसे पूर्व में प्रमाणित मानते हुए उसे काट कर निरस्त का दाखिला लगाया है। मौके पर्चा रिपोर्ट से भी उक्त भूमि की लीज राशि विष्णु मिनरल्स के नाम से जमा हो रही है। अस्वीकृत किये गये नामान्तरण आदेश विधि के विपरित है। यह सारी कार्यवाही तत्कालीन तहसीलदार ने अपने मनमकसूद तरीके से की है । कोई भी आदेश जब विधि अनुसार स्वीकृत किया गया है तो बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के उसी अधिकारी को अपने पूर्ववत आदेश को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है और उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा आलौच्य आदेश बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के अपने मनमकसूद तरीके से नामान्तरकरण निरस्त करने का नोट लगाते हुऐ नामान्तरकरण निरस्त कर दिया जिसमें किसी भी पक्षकार को सूने बगेर ही यह सारी कार्यवाही की गई है जो विधि के विपरित है। तहसीलदार ने अपने मनमकसूद तरीके से स्वीकृत नामान्तरण को काट कर अस्वीकृत करने के आदेश जारी किये हैं जो न केवल विधि के विपरीत है बल्कि संबंधित पक्षकार को सूने बगैर मनमकसूद तरीके से जो कार्यवाही की गयी है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पैरोकार सरकार द्वारा अपील आधारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया गया तथा निवेदन किया कि नामान्तरण आवंटन आदेश दिनांक 28.01.1991 के आधार पर भरा गया था जिसे तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा दिनांक 15.02.1991 को अस्वीकृत किया गया है उक्त आवंटित भूमि के संबंध उद्योग हेतु आरक्षित किये जाने के आदेश दिनांक 14.01.1991 को किये गये थे जिसकी पालना में नामान्तरण संख्या 309 दिनांक 21.09.1991 को स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे उद्योग हेतु आरक्षित नहीं हुयी थी यह तथ्य तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से प्रमाणित है। उक्त नामान्तरण तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा सही रूप से खारिज किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा दिये गये तर्कों पर मनन, विचार किया। उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा देरी से पेश की है जिसकी माफी के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र पेश किया है। साथ ही यह तर्क रहा है कि मामला गुणावगुण पर होकर विलम्बित अवधि को कण्डोन किये जाने हेतु उचित एवं पर्याप्त कारण है। क्योंकि अपीलान्ट के विधिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र का खण्डन नहीं हुआ है इसलिये न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है और अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

अपीलान्ट का उक्त मामले में अपील पेश करने का मुख्य आधार यह रहा है कि उक्त प्रकरण में अपीलांट के पूर्वाधिकारी को उद्योग हेतु आवंटित हुई एवं आवंटन आदेश की पालना में जारी लीज शुदा उद्योग भूमि विष्णु मिनरल्स इण्डस्ट्रीज के नाम पर दर्ज करने हेतु नामान्तरण की कार्यवाही पटवारी हल्का द्वारा की जाकर उक्त नामान्तरण स्वीकृति के लिए तहसीलदार नाथद्वारा के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। उक्त नामान्तरण आवंटन आदेश दिनांक 28.01.1991 के आधार पर भरा गया था जिसे तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा दिनांक 15.02.1991 को अस्वीकृत किया गया है उक्त आवंटित भूमि के संबंध उद्योग हेतु आरक्षित किये जाने के आदेश दिनांक 14.01.1991 को किये गये थे जिसकी पालना में नामान्तरण संख्या 309 दिनांक 21.09.1991 को स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे उद्योग हेतु आरक्षित नहीं हुयी थी इससे पूर्व ही आवंटन आदेश के आधार पर उक्त नामान्तरण स्वीकृत कराने की कार्यवाही की गयी है जिसे तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा सही रूप से खारिज किया गया है। अपीलांट के द्वारा आक्षेपित नामान्तरण किस प्रकार से त्रुटीकारक है, इसकी पुष्टि मे कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किये है। केवल काल्पनिक कथनों के आधार पर तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा स्वीकृत आक्षेपित नामान्तरण को गलत होना नहीं माना जा सकता है। साथ ही अपीलांट द्वारा उपरोक्त नामान्तरण को 28 वर्ष बाद चुनौती दी हैं। इतने लम्बे समय तक उक्त आदेश को चुनौती अपीलार्थी द्वारा नही दी गई हैं। इसलिए भी अपीलार्थी उक्त अपील में कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। वैसे भी कानूनन पट्टा जारी किये जाने के उपरान्त ही पट्टेशुदा भूमि का नामान्तरण खोले जाने के प्रावधान है और उक्त प्रकरण में पट्टे के आधार पर न तो नामान्तरण भरा गया है और न ही ऐसी कोई कार्यवाही अमल मे लायी गयी है। केवल आवंटन आदेश के आधार पर खोले गये नामान्तरण को तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा अस्वीकृत किये जाने मे किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पायी जाती है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांकः 10.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)